



बिहार विधान सभा

अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य सूची

22 जुलाई, 2026

11:00:00

1. प्रश्नोत्तर

- (1) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

2. ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

- (1) श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [कृषि विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
- (2) सर्वश्री मंजीत कुमार सिंह, माधव आनंद एवं अन्य तेरह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [गन्ना उद्योग विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

3. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- (1) ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2016-2017 से 2017-18 तक एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

4. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।

5. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

6. विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

(1) "बिहार नगर विकास विधेयक, 2026"

- (i) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश मिश्रा प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार नगर विकास विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश मिश्रा उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश मिश्रा प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार नगर विकास विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश मिश्रा प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार नगर विकास विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(2) "बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026"

- (i) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' प्रस्ताव करेंगे कि बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(3) "बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026"

- (i) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

- (iii) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(4) "भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026"

- (i) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी प्रस्ताव करेंगे कि "भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी प्रस्ताव करेंगे कि "भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी प्रस्ताव करेंगे कि "भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(5) "निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026"

- (i) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी प्रस्ताव करेंगे कि "निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी प्रस्ताव करेंगे कि "निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी प्रस्ताव करेंगे कि "निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(6) "बिहार ईज ऑफ ड्रूंग बिजनेस विधेयक, 2026"

- (i) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह प्रस्ताव करेंगी कि "बिहार ईज ऑफ ड्रूंग बिजनेस विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

- (ii) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (iii) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह प्रस्ताव करेंगी कि "बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह प्रस्ताव करेंगी कि "बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(7) **"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026"**

- (i) पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री दीपक प्रकाश प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री दीपक प्रकाश उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री दीपक प्रकाश प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री दीपक प्रकाश प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(8) **"बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026"**

- (i) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(9) **"बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026"**

- (i) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

- (ii) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
- (iii) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।
- (iv) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(10) **"बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026"**

- (i) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
- (ii) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
- (iii) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' प्रस्ताव करेंगे कि बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" पर विचार हो ।
- (iv) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह 'टाईगर' प्रस्ताव करेंगे कि बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(11) **"डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026"**

- (i) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
- (ii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी ।
- (iii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" पर विचार हो ।
- (iv) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(12) **"बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026"**

- (i) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) (२ विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (iii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।
- (13) "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026"
- (i) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (iii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

7. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

पटना-800015
दिनांक: 21 जुलाई 2026

श्रीमती पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा